



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

No. 128]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

वास्तुकला परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

संदर्भ सं. सी.ए/2017/वा.रि.—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2015–2016

वास्तुकला परिषद् वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है। परिषद् को 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

संगठनात्मक संरचना:

वास्तुकला परिषद् का अध्यक्ष संगठन का प्रमुख होता है जिसके समग्र प्रभार के अधीन परिषद् काम करती है।

सांविधिक तथा अन्य समितियां :

वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिषद् ने सांविधिक समितियां गठित की हैं, यथा कार्यकारिणी समिति, जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है, अनुशासन समिति, जो शिकायतों की जांच-पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जांच करती है, सलाहाकार समिति (अपील) जो उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इनके अलावा, विशेष / खास प्रयोजनों के लिए समय-समय पर अन्य समितियां गठित की जाती हैं।

परिषद् ने विदेशी अर्हताओं की मान्यता हेतु केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों की जांच हेतु एक उप-समिति गठित की है।

कार्यकारिणी समिति ने बी.आर्की पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए नए संस्थानों से तथा विस्तार अनुमोदन/अतिरिक्त इनटेक के लिए वर्तमान संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की संवीक्षा करने हेतु संवीक्षा समिति भी गठित की है।

बैठकें:

क. परिषद् : रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें हुईं। 64वीं बैठक 27.08.2015 को तथा 65वीं बैठक 25.01.2016 को आयोजित हुईं।

ख. कार्यकारिणी समिति : वर्ष 2015—2016 के दौरान, कार्यकारिणी समिति की 13 बैठकें हुई अर्थात् 6 और 7 मई, 2015 को 143वीं बैठक, 14 और 15 मई, 2015 को 144वीं बैठक, 27, 28, 29, 30 और 31 मई, 2015 को 145वीं बैठक, 6, 7, और 8 जून, 2015 को 146वीं बैठक, 13 और 14 जून, 2015 को 147वीं बैठक, 23 और 24 जून, 2015 को 148वीं बैठक, 13 और 14 जुलाई, 2015 को 149वीं बैठक, 13 अगस्त, 2015 को 150वीं बैठक, 26 अगस्त, 2015 को 151वीं बैठक, 2 नवम्बर, 2015 को 152वीं बैठक, 15 जनवरी, 2016 को 153वीं बैठक, 24 जनवरी, 2016 को 154वीं बैठक, तथा 5 मार्च, 2016 को 155वीं बैठक हुई।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों का सारांश नीचे दिया जा रहा है :-

1.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन परिषद् द्वारा रखे गए वास्तुविद् रजिस्टर में नामों को फिर से चढ़ाना :

परिषद् ने अपनी 64वीं बैठक में 13.01.2015 से 31.07.2015 तक की अवधि में 1027 चूककर्ता वास्तुविदों के नामों को अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुनः दर्ज किए।

परिषद् ने अपनी 65वीं बैठक में 01.08.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि में 936 चूककर्ता वास्तुविदों के नाम अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुनः दर्ज किए।

2.0 निवेदन करने पर तथा निधन होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से नामों को हटाना :

परिषद् ने अपनी 64वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(ए) के तहत निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनके द्वारा निवेदन करने पर हटाए :-

- 1) श्री प्रकाश ए. भंडाकर (सीए/88/11560), मुंबई;
- 2) श्री दिनेश टी. महादवार (सीए/75/1045), मुंबई;
- 3) श्री विलास डी. मुंगकर (सीए/84/8197), मुंबई; तथा
- 4) श्री मनोहर वी. गोगट (सीए/75/1948), पूणे;

परिषद् ने अपनी 64वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(बी) के अधीन निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यु पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :-

- 1) श्री विलास डी. मुंगेकर (सीए/84/8197), मुंबई;
- 2) श्री चार्ल्स एम. कोरिया (सीए/75/2277), मुंबई; तथा
- 3) श्री के. वामादेवन (सीए/75/260), चेन्नई

इसके अतिरिक्त परिषद् ने अपनी 65वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(ए) के तहत निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम भी उनके द्वारा निवेदन करने पर हटा दिए :-

1. श्री एस. यू. निमभेकर (सीए/2005/25739), नोएडा;
2. श्री सुभाष कपूर (सीए/76/2782), नई दिल्ली;
3. श्री एस. वी. सिंह (सीए/2006/39063), लखनऊ; तथा
4. सुश्री अनीता के. ठाकुर (सीए/87/10523), अहमदाबाद;
5. श्री ए. आर. जोशी (सीए/97/19326), सांगली;
6. श्रीमती सुधा गोयल (सीए/80/5685), नई दिल्ली;
7. श्री कमलजीत सिंह (सीए/79/5221), नई दिल्ली;
8. सुश्री देवलीन दत्ता (सीए/2013/60638), नई दिल्ली;
9. श्री जे. आर. पटेल (सीए/75/904), वडोदरा;
10. श्री ए. आर. बिसवास (सीए/75/1297), इलाहाबाद;
11. श्री एस. वी. पोंक्षे (सीए/77/3404), कल्याण;
12. श्री डी. वी. कुलकर्णी (सीए/82/6806), मुम्बई;

13. श्री डी. के. छावरे (सीए/83/7882), पुणे;
14. श्री जे. एम. नागरेचा (सीए/86/9764), मुम्बई;
15. सुश्री निधि सूद (सीए/98/23216), फरीदाबाद;
16. श्री आरथी टी. (सीए/2013/58545), मदुरै;
17. श्री ए. के. सिन्हा (सीए/2013/61052), ठाणे;
18. श्री पार्थप्रतिम घोष (सीए/75/149), नई दिल्ली;
19. श्री वी. पी. कुलकर्णी (सीए/75/441), नागपुर;
20. श्री आर. एन. पोटे (सीए/86/9843), मुम्बई;
21. श्री ए. आर. जोशी (सीए/85/9090), मुम्बई;
22. श्री वी. के. गर्ग (सीए/85/8974), मेरठ;
23. श्री गुरिंदर सिंह (सीए/2015/67366), खरड़;
24. श्री एस. के. वाखलु (सीए/91/13647), नई दिल्ली;
25. सुश्री ज्योति नरूला (सीए/92/14930), लखनऊ;
26. श्री वी. आर. भगतानी (सीए/99/25223), रायपुर;
27. श्री एस. घोष (सीए/75/1452), कोलकाता;
28. सुश्री के. मरियम्मा (सीए/79/4913), तिरुवनंतपुरम;
29. श्री ऐ. जी. बहमी (सीए/86/10359), पुणे;
30. श्री एम. बी. दवे (सीए/99/24580), यूएसए;
31. सुश्री ए. श्रीवास्तव (सीए/2013/62213), दिल्ली;
32. श्री ए. एम. किनी (सीए/98/22521), मुम्बई;
33. श्री जी. डब्लू. अटावले (सीए/76/2778), पुणे; तथा
34. श्री राजीव बाजपेयी (सीए/99/24565), यूएसए;

परिषद् ने अपनी 65वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(बी) के अधीन निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यु पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :-

1. श्री वी के गिरहोत्रा (सीए/99/24858), दिल्ली;
2. श्री आर के ठाकर (सीए/99/14183), मुम्बई;
3. श्री ए एस उपासन्त (सीए/77/14183), मुम्बई;
4. श्री एस एन वर्मा (सीए/87/10527), जयपुर;
5. श्री एस जी उपारे (सीए/85/9015), सांगली;
6. श्री एम जी सुथार (सीए/80/5582), अहमदाबाद;
7. श्री यू डी अनबी (सीए/80/5998), मुम्बई;
8. श्री एच एस चड्ढा (सीए/77/3818), दिल्ली;
9. श्री डी जे हिरानी (सीए/88/3792), नोएडा;
10. श्री एम टी घींगे (सीए/76/3165), नागपुर;
11. श्री एन जे सागर (सीए/76/2682), मुम्बई;
12. श्री एम हुसैन (सीए/76/2428), हैदराबाद;
13. श्री एस एन मंगल (सीए/75/1717), आगरा;
14. श्री जी एल रहेजा (सीए/75/1497), मुम्बई;
15. श्री वी पी सेनौन (सीए/75/1338), कोलकाता;

16. श्री आई डी कपूर (सीए/75/594), मुम्बई ;
17. श्री एच के गावंकर (सीए/82/7316), मुम्बई;
18. श्री कबीर रे (सीए/79/4991), कोलकाता;
19. श्री पी एस फडणीस (सीए/76/3114), मुम्बई;
20. श्री सी के गुमास्ते (सीए/75/125), मुम्बई;
21. श्री एस आर घोरपड़े (सीए/75/1149), ठाणे; तथा
22. श्री एस ए खरे (सीए/96/19848), ठाणे;

3.0 अनुशासन समिति की बैठकें :

वर्ष के दौरान अनुशासन समिति की कोई भी बैठक/सुनवाई सदस्यों के लगातार परिवर्तन के कारण आयोजित नहीं हो पाई। परिषद् ने अनुशासन समिति के शीघ्र पुर्नगठन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

वास्तुविदों का पंजीकरण :

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत करती है, जो भारत में रहता हो या वास्तुकला का व्यवसाय करता हो और जो मान्यता प्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता रखता है।

वर्ष (1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016) के दौरान परिषद् ने वास्तुविदों के रूप में 6726 व्यक्तियों का पंजीकरण किया। इस प्रकार 31 मार्च, 2016 तक वास्तुकला परिषद् में वास्तुविदों के रूप में कुल 74648 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2016 तक 60710 व्यक्तियों के वास्तुकला परिषद् में वैध पंजीकरण हैं।

वास्तुविदों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ की जाएगी।

5.0 वास्तुकला परिषद् कार्यालय के लिए अतिरिक्त कार्यस्थल का क्रय :

परिषद् ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.बी.सी.सी.) से एन.बी.सी.सी. सेंटर, ओखला (फेज-1), नई दिल्ली के 7वें तल में अतिरिक्त कार्यालय स्थल (कुल क्षेत्र 7885 वर्ग फीट) की खरीद की है तथा पूरी देय राशि का एन.बी.सी.सी. को भुगतान किया जा चुका है।

6.0 वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार की शिकायतें :

प्रत्येक वास्तुविद् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 2003 में संशोधित वास्तुविद् (वृत्तिक आचरण) विनियमावली, 1989 के उपबंधों का पूर्णतः पालन करेगा। वास्तुविद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वास्तुविद् को जांच-पड़ताल और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

परिषद् द्वारा अपनी 64वीं बैठक में वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार संबंधी 16 शिकायतों पर विचार किया गया। एक मामले में शिकायतकर्ता को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, 2 मामलों को परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण टाल दिया, 6 शिकायतों को खारिज कर दिया गया, 4 शिकायतों को परिषद् के सदस्यों के पास उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया तथा 3 शिकायतों को अनुशासन समिति को जांच हेतु सौंपा गया।

परिषद् द्वारा अपनी 65वीं बैठक में वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार संबंधी 4 शिकायतों पर विचार किया गया। इसमें से 1 शिकायत को अनुशासन समिति को जांच हेतु सौंपा गया। 2 शिकायतों को खारिज कर दिया गया तथा 1 शिकायत को प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए परिषद् के सदस्यों को भेजा गया।

7.0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की आपूर्ति :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन 96 आर.टी.आई. निवेदन प्राप्त हुए तथा 20 प्रथम अपीलों तथा 2 द्वितीय अपीलों का केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटान किया गया।

8.0 वास्तुकला संस्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :

परिषद् द्वारा बी. आर्की प्रारम्भ करने तथा बी. आर्की कोर्स के विस्तार/अतिरिक्त इनटेक के लिए संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त किए जाने लगे हैं। संस्थानों द्वारा संकाय सदस्यों तथा संरचनात्मक सुविधा सहित संस्थान की सभी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जा रही है। संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्ट भी ऑनलाइन तैयार की जाएगी।

ऑनलाइन प्रक्रिया से परिषद् संस्थानों के पूरे डाटाबेस तथा उनकी शैक्षणिक तथा संरचनात्मक सुविधाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम होगी। शिक्षा सत्र 2015-16 के लिए निरीक्षण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हो रहे हैं।

9.0 शैक्षिक—सत्र 2015—2016 में नई संस्थाओं का अनुमोदन :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 64 नए संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वर्तमान 12 संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस प्रकार, वर्ष 2015—2016 में परिषद् के अनुमोदन से वास्तुकला में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों की कुल संख्या बढ़कर 423 हो गई। छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या अनुमानतः पूर्वस्नातक (यूजी) स्तर पर 25203 (लगभग), स्नाकोत्तर (पीजी) स्तर पर 1900 और पीएच—डी स्तर पर 30 है।

10.0 शिक्षा—सत्र 2015—2016 से आगे अनुमोदन का विस्तार :

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा—सत्र 2015—2016 के लिए 242 संस्थानों के लिए यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के अनुमोदन या अन्यथा की अवधि निम्नलिखित ढंग से बढ़ाई:

(i) वे संस्थाएं जिनमें 2015—2016 से आगे वर्तमान या अधिक दाखिले सहित बी. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई: 242

(ii) वे संस्थाएं जिनमें 2015—2016 से आगे के लिए वर्तमान या अधिक दाखिले सहित एम. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई: 27

(iii) वे संस्थाएं जिनमें वर्ष 2015—2016 के लिए कोई "प्रवेश नहीं" घोषित किया गया : 03

(iv) वे संस्थाएं जिनकी 2015—2016 हेतु 'मान्यता वापस' ली गई : शून्य

परिषद् ने शिक्षा—सत्र 2016—2017 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है।

11.0 वास्तुकार के प्रतीक चिन्ह डिजाइन के लिए डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन :

सभी पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के विशिष्ट प्रतीक चिन्ह हैं जिनसे वे पहचाने जाते हैं। वास्तुविदों का कुछ देशों को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। परिषद् ने वास्तुविद पेशे को बढ़ावा देने तथा वास्तुविदों को पहचान देने के लिए प्रतीक चिन्ह के चयन के लिए एक प्रतियोगिता का संचालन करने का निर्णय लिया।

परिषद् ने प्रतीक चिन्ह के डिजाइन के लिए 1136 प्रविष्टियां प्राप्त की। प्रथम चरण के निर्णायक मंडल का आयोजन 20.08.2015 को किया गया। अंतिम निर्णायक मंडल का आयोजन 25.08.2015 को किया गया जिसमें 10 प्रविष्टियों का चयन किया गया तथा उनमें से 3 का अंतिम चरण में चयन किया गया। माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन तथा डिप्टी लोकसभा स्पीकर श्री थाम्बी दुरई की अध्यक्षता में पुरस्कार समारोह हुआ।

परिषद् द्वारा 25.01.2016 को आयोजित अपनी 65वीं बैठक में 3 प्रविष्टियों पर विचार किया तथा फैसला किया कि भारत के वास्तुविदों के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाए जाने की अंतिम प्रविष्टि का चयन करने में अभी सुधार की आवश्यकता है।

12.0 केंद्रीय सरकार द्वारा वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन विदेशी अर्हताओं की मान्यता :

परिषद् को विदेशी यूनिवर्सिटियों द्वारा दी गई वास्तुकला डिग्री को मान्यता देने के लिए केंद्रीय सरकार से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

विदेशी योग्यताओं को मान्यता देने संबंधी सभी मामलों की जांच करने एवं विचार करने के लिए परिषद् द्वारा विदेशी योग्यताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए एक उप—समिति गठित की गई है जिसमें प्रो. मिलिंद कोलेगल, कन्वेनर, प्रो. जितेंद्र सिंह, सदस्य, श्री ए. डी. शिरोड, सदस्य तथा प्रो. डी. वी. सोलोमन, सदस्य सम्मिलित हैं।

13.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में विस्तृत संशोधन :

परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में विस्तृत संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय ने उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु श्री जे. आर. भल्ला, वास्तुविद्, पूर्व—अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस मामले में मंत्रालय से आगे की कार्यवाही प्रतिक्षित है।

14.0 वास्तुविदों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम :

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम : एनआईएएस द्वारा पिछले वर्ष पुणे तथा अन्य शहरों में शिक्षकों और पेशेवर वास्तुविदों के लिए 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वास्तुकला के स्कूलों में छात्रों तथा संकायों के लिए "दि आर्किटेक्ट एण्ड दि बिल्ट इन्वायरोनमेंट" पर एक वेबिनार आयोजित की गई।

वास्तुकला संस्थानों के शिक्षकों के लिए "सस्टेनेबिलिटी सेंसिटाइजिंग" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	संयोजक का नाम	दिनांक	प्रतिभागी संख्या
1.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, इंदौर, मध्य प्रदेश	प्रो जयश्री देशपाण्डे	20-24 अप्रैल, 2015	07
2.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, झांसा, पंजाब	प्रो जयश्री देशपाण्डे	22-26 जून, 2015	36
3.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, चैन्नई, तमिलनाडु	प्रो जयश्री देशपाण्डे	29 जून - 03 जुलाई, 2015	40
4.	हेरिटेज आइडेंटिफिकेशन-डॉक्यूमेंटेशन- कंजर्वेशन, डी आई टी यूनिवर्सिटी, देहरादून	श्री नवीन पिपलानी	06-10 जुलाई, 2015	32
5.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, एस आई टी, तुमकूर, कर्नाटक	प्रो जयश्री देशपाण्डे	13-17 जुलाई, 2015	22
6.	अर्ली फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, एन आई ए एस ए, पुणे, महाराष्ट्र	प्रो जयश्री देशपाण्डे	20-30 जुलाई, 2015	15
7.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, आलिम मोहम्मद सालेग अकादमी ऑफ आर्किटेक्चर, चैन्नई	प्रो जयश्री देशपाण्डे	23-27 नवम्बर, 2015	44
8.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, डी वार्ड पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, कोल्हापुर	प्रो जयश्री देशपाण्डे	23-27 नवम्बर, 2015	37
9.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, होली क्रीसेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, अलवाए, केरल	प्रो जयश्री देशपाण्डे	04-08 जनवरी, 2016	42
10.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अंजुमन-ए-इस्लाम कालसेवर टैक्निकल कैम्पस, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	प्रो जयश्री देशपाण्डे	06-10 जनवरी, 2016	29
11.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मुंबई, महाराष्ट्र	प्रो अख्तर चौहान	10-14 फरवरी, 2016	24
12.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, दसोली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	प्रो जयश्री देशपाण्डे	08-12 मार्च 2016	46
13.	टिचिंग इंडियन आर्किटेक्चरल हिस्ट्री	प्रो वैशाली लतकर	14-18 मार्च, 2016	20
14.	ट्रेन दि ट्रेनर्स-प्री-डिजाइन	श्री नरेश शाह, मुंबई	21-22 मार्च, 2016	03
15.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, कनकपुरा रोड, बंगलौर, कर्नाटक	प्रो जयश्री देशपाण्डे	28 फरवरी -01 मार्च, 2016	24
कुल प्रतिभागी				421

2. छात्रों और वास्तुकला संस्थानों में शिक्षकों के लिए वेबिनार :

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	संचालक का नाम	दिनांक	प्रतिभागी संख्या
01	दि आर्किटेक्ट एण्ड दि बिल्ट इन्वाइरन्मेंट	श्री निर्मल किलकर्णी	07 अप्रैल, 2015	1

3. वास्तुकला संस्थानों में संकायों हेतु कार्यशाला :

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	संचालक का नाम	दिनांक	प्रतिभागी संख्या
01	सस्टेनेबिलिटी सेंसिटाइजिंग कार्यशाला, प्रियादर्शिनी इंस्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड डिजाइन स्टडिज, नागपुर	सुश्री संगीता कपूर	25-27 फरवरी, 2016	35

15.0 वास्तुकला संस्थानों में दाखिल बी.आर्क पाठ्यक्रम के छात्रों को पंजीकरण नंबर जारी करना :-

परिषद् संस्थानों द्वारा दाखिल छात्रों को पंजीकरण संख्या जारी कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को परिषद् द्वारा निर्धारित पात्रता है तथा साथ ही वे परिषद् द्वारा स्वीकृत इनटेक के अंतर्गत दाखिल हुए हैं। नामांकन जारी करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गयी है तथा सभी संस्थानों की जानकारी ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा उसी के अनुसार वे बी.आर्क. कोर्स के लिए पात्र छात्रों की भर्ती के लिए नामांकन संख्या प्राप्त करते हैं।

16.0 राष्ट्रीय वास्तुकला शोध-प्रबंध में विशिष्टता पुरस्कार कार्यक्रम :**➤ स्नातक :**

वास्तुकला परिषद् ने एनआइएएसए के माध्यम से युवा प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व-स्नातक शोध-प्रबंध परियोजनाओं हेतु वास्तुकला शोध प्रबंध कार्यक्रम में विशिष्टता हेतु 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारम्भ किया। आंचलिक कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए:-

मण्डल	स्थान	संयोजक कॉलेज
1	लखनऊ	आईटीएम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड टाउन प्लानिंग, लखनऊ
2	वेलकाता	ओम दयाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, हावड़ा
3	नया वल्लभ विद्यानगर	शांताबेन मनुभाई पटेल स्कूल ऑफ स्टडीज, वल्लभ विद्यानगर
4	कोटागिरी	मैकगैन्स ऊटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, कोटागिरी
5	नामक्कल	एक्सेल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग, नामक्कल
राष्ट्रीय	नई दिल्ली	फैक्लटी ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड इकीस्टिकल्स जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

आंचलिक जूरी के निम्नलिखित सदस्य थे:-

1.	मण्डल 1	वा. संदीप सेन, वा. पार्थ रंजन, वा. चित्रा विश्वनाथ
2.	मण्डल 2	वा. उज्जैन घोष, वा. प्रसाद यादव, वा. सोना डॉक्टर
3.	मण्डल 3	वा. अशोक दत्ता, वा. सुजीत नायर, वा. अपर्णा नरसिम्हन
4.	मण्डल 4	वा. सूर्या ककानी, वा. श्रद्धा सेजपाल, वा. शांतनु पोरेडी
5.	मण्डल 5	वा. रवि कदम, वा. अयान सेन, वा. अंजन मित्रा

नेशनल जूरी के सदस्य थे - वा. बर्नार्ड गोमेज, वा. स्नेहानंशु मुखर्जी तथा वा. सौमित्र घोष।

➤ स्नातोत्तर :-

परिषद् द्वारा एन आई ए एस ए के माध्यम से स्नाकोत्तर शोध-प्रबंध परियोजनाओं के लिए द्वितीय शोध-प्रबंध में विशिष्टता पुरस्कार कार्यक्रम का आरंभ देशभर से वास्तुकला में स्नातोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रेरित करने तथा उनका उत्साहवर्धन करने तथा वास्तुकला स्कूलों में अनुसंधान प्रक्रिया के विकास करने के उद्देश्य के साथ किया गया।

राष्ट्रीय जूरी का आयोजन फेकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड इकीस्टिकल्स जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली में किया गया। नेशनल फाइनल के लिए जूरी के सदस्य थे :- वा. के जेयसिम, वा. बी एस भूषण तथा वा. अख्तर चौहान।

पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का पुरस्कार वितरण समारोह आईएचसी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

17.0 सीओए-इनटैक हेरिटेज पुरस्कार :

भारत भर से वास्तुकला संस्था के लिए सीओए-इनटैक हेरिटेज पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा अंतिम निर्णायक मंडल इनटैक दिल्ली में आयोजित किया गया तथा पुरस्कार वितरण समारोह सीओए-नियासा थीसिस पुरस्कार वितरण समारोह आईएचसी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

18.0 वास्तुकला में राष्ट्रीय एपीटीयूड टेस्ट

ऐसे भावी छात्रों के लिए जो वास्तुकला पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा दो चरणों यथा प्रथम चरण 01.04.2015 से 25.05.2015 तथा द्वितीय चरण 01.06.2015 से 21.08.2015 तक आयोजित की गई।

नाटा परीक्षा 2015 की स्थिति निम्नानुसार है :-

- नियुक्तियों/टेस्ट की कुल संख्या : 54688 / 45467 क्रमशः
- परिणाम घोषित : 45445
- कुल उत्तीर्ण उम्मीदवार : (विशिष्ट प्रयास) 30268
- उच्चतम स्कोर : (विशिष्ट प्रयास) 154
- कुल उत्तीर्ण उम्मीदवार : (औसत पश्चात यदि लागू हो) 28715
- उच्चतम स्कोर : (औसत पश्चात यदि लागू हो) 154

19.0 सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा वास्तुविदों का चयन :

वास्तुकला परिषद् द्वारा अनेक सरकारी प्राधिकरणों को यह लिखित रूप में कहा गया है कि वे केवल वास्तुकला प्रतियोगिता दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही वास्तुविदों की नियुक्तियां करें और निविदा आधार पर निम्नतम शुल्क के भुगतान पर वास्तुविदों की नियुक्ति ना करें। परिषद् द्वारा सी.पी. डब्ल्यू. डी. से अपने वे दो परिपत्र वापस लेने को कहा गया है जो कि सी.पी. डब्ल्यू. डी. ने वास्तुविदों की नियुक्ति के संबंध में जारी किए हैं। इसी प्रकार एन.बी.सी.सी. से भी अनुरोध किया गया है कि एन.बी.सी.सी. द्वारा संचालित परियोजनाओं के संबंध में सी.ओ.ए. मानदण्ड ही अपनाए जाएं।

परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 इसके तहत बने विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप परामर्शदाता की नियुक्ति संबंधी मैनुअल संशोधित करने हेतु व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से भी अनुरोध किया है क्योंकि वास्तुविद् के चयन/नियुक्ति हेतु सभी सरकारी विभागों द्वारा इस मैनुअल का अनुसरण किया जा रहा है। परिषद् द्वारा वास्तुविद् पेशे को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर अपना दखल देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है।

प्रतियोगिताएं आयोजित कर्ताओं/प्रोमोटर्स द्वारा परिषद् से वास्तुविद् प्रतियोगिताओं के आयोजन में मार्ग-दर्शन एवं अन्य सहयोग मांगें जाने पर से उन्हें तुरन्त प्रदान किया गया।

20.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 और इसके अधीन तैयार विनियमों को लागू करना:

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 36 और 37 के अधीन वास्तुविद् के रूप में अयथार्थ रूप प्रस्तुत करने के साथ-साथ वास्तुकला की पदवी और शैली का दुरुपयोग निषेध है और इस का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। वास्तुविद् की पदवी और शैली के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत मिलने पर परिषद् द्वारा अनुच्छेद 39 के अधीन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराधों का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दर्ज करायी गई।

परिषद् उन व्यक्तियों के विरुद्ध मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष दर्ज की गई आपराधिक शिकायतों का तेजी से अनुसरण कर रही है जिन्होंने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों का उल्लंघन किया है और वास्तुविद् की पदवी और शैली का अयथार्थ रूप प्रस्तुत या दुरुपयोग किया है। इस समय 16 शिकायतें न्यायालय में लंबित हैं।

21.0 प्रकाशन:

परिषद् द्वारा अपनी पत्रिका "टाइम स्पेस एंड प्यूपल" मैसर्स लाइफ स्टाइल मीडिया, नई दिल्ली के सहयोग से मुद्रित एवं प्रकाशित की जा रही है।

परिषद् द्वारा अपनी वास्तुविदों की डायरेक्टरी तथा व्यावसायिक कामकाज की हैंडबुक, 2015 मुद्रित करवा ली गई है। हैंडबुक सभी वैध पंजीकरण प्राप्त वास्तुविदों तथा वास्तुकला संस्थानों को निःशुल्क भेजी जाती हैं।

भारत में वास्तुकला कॉलेजों हेतु निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित एवं वितरित की गई हैं :-

- प्रि-डिजाइन की प्रस्तावना
- जर्नल ऑफ कॉंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (जे.सी.ओ.ए.)-वास्तुविद्-शिक्षा एवं प्रैक्टिस
- दि रुरल स्टूडियो प्रोजेक्ट
- आर्चिविंग आर्किटेक्चर थैसिस-2014

निम्नलिखित पुस्तक का मुद्रण करवा लिया गया है जिसकी निशुल्क प्रतियाँ आगामी सी.ओ.ए.एन.आई.ए.एस.ए. प्रकाशन सहित वास्तुविद् कालेजों को वितरित की जाएगी।

- बाधा रहित भवन पर्यावरण हेतु डिजाइन मैनुअल :

निम्नलिखित पुस्तक तैयार है तथा शीघ्र ही मुद्रित एवं प्रकाशित की जायेगी :

- आर्किविंग आर्किटेक्चरल थेसिस 2012

निम्नलिखित संदर्भित पत्रिकाएं डिजाइनिंग की प्रक्रिया में हैं और इनके शीघ्र ही मुद्रित एवं प्रकाशित होने की आशा है:

- जर्नल ऑफ काँसिल ऑफ आर्किटेक्चर (जे.सी.ओ.ए.) हाऊसिंग
- जर्नल ऑफ काँसिल ऑफ आर्किटेक्चर (जे.सी.ओ.ए.) निरन्तर विकास
- जर्नल ऑफ काँसिल ऑफ आर्किटेक्चर (जे.सी.ओ.ए.) – हेरिटेज एण्ड कंजर्वेशन

मपिन पब्लिकेशन, अहमदाबाद से स्नेहशाह की "आर्किटेक्ट" नामक पुस्तक की 500 प्रतियां प्राप्त की गई हैं। यह पुस्तक भारत में वास्तुकला कालेजों में वितरित की गई।

22.0 आभार :

वास्तुकला परिषद् अपने स्वयं के संसाधन द्वारा अत्यल्प स्टाफ के साथ अखिल भारतीय स्तर पर दक्षतापूर्वक काम कर रही है। परिषद् केंद्रीय सरकार, तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों, सभी राज्य सरकारों और सभी वास्तुकला विद्यालयों को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए उनका धन्यवाद और प्रशंसा करती है। परिषद् अपने पदाधिकारियों और वास्तुकला परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखापरीक्षकों, अधिवक्ताओं, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों, शिक्षाविदों और सभी विज्ञापन दाताओं के प्रति वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्ग-दर्शन, सलाह तथा समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् अपने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2015-2016 के दौरान उसे उपयोगी सेवाएं प्रदान कीं।

आर.के ओबराय, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./470/16]

शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकार

जे-189, भूमिगत तल, जे-ब्लोक मार्केट के समीप,

साकेत, नई दिल्ली-110017 भारत

फोन: +91-11-41555445,

मो. +91-9810570480, 9811488709

लेखापरीक्षक रिपोर्ट

हमने "वास्तुकला परिषद्", इंडिया हैबिटेड सेंटर, कोर 6 ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च, 2016 के संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा एवं प्राप्त तथा अदायगी लेखा, जिसमें परिषद् के कार्यालयों के सभी लेखे शामिल हैं, की परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना है।

हमने आजतक अधिसूचित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सामान्यतः स्वीकृत किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं ताकि वित्तीय विवरण किसी विशेष गलत विवरण से मुक्त रहे। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना और वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटनों का पोशक साक्ष्य शामिल होता है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें धोके या गलती से वित्तीय विवरणों के गलत भौतिक विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। उन जोखिम मूल्यांकनों के निर्माण में लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के डिजाइन के अनुसार वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुतीकरण और निर्माण के लिए दिए गए आंतरिक नियंत्रणों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं किन्तु आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर मत व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान और समूचे वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि अनुलग्नक सं. 14- लेखाओं के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां नोट सं. 02 से 16 तक हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि :

1. हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, हमने लेखा बहियों की जो जांच की है उससे यह प्रकट होता है कि परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 द्वारा अपेक्षित रूप में उचित लेखा बहियां रखी हुई हैं;

3. तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा और प्राप्ति एवं अदायगी लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं; और
4. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार संलग्न अनुसूचियों सहित और लेखाकरण नीतियों के भाग के रूप में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण द्वारा—
- (क) 31 मार्च, 2016 को परिषद् की कार्यस्थिति से संबंधित तुलन-पत्र और
- (ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय संबंधित आय-व्यय लेखे।
- (ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्ति तथा अदायगी लेखे का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स,

सनदी लेखाकार (एफ आर एन 008621 सी)

सीए. शैलेश कुमार

भागीदार;

सदस्यता सं. एफ-077337

दिनांक: 01.08.2016

स्थान: नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(लाभेतर संगठन-सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च 2016 को तुलन-पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधि तथा देयताएँ			
भारत सरकार से उद्दिष्ट निधियाँ	1	150000.00	150000.00
चिह्नित निधि	2	356730757.00	279601856.00
चालू देयताएँ	3	96993237.00	124603894.00
अधिशेष / घाटा लेखा	7	11496329.68	1616713.73
कुल		465370323.68	405972463.73
परिसंपत्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4	7741914.00	6412121.30
निवेश	5	197480893.00	198700000.00
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	6	260147516.68	200860342.43
कुल		465370323.68	405972463.73
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार,
कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार
एफ आर एन 008621 सी

ह
(रजिस्ट्रार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2016

ह
(प्रेसीडेंट)

ह
(शैलेश कुमार)
सदस्यता सं. 077337

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(लाभेतर संगठन-सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
फीस	8	27942099.00	21379339.00
अन्य आय	9	63360548.29	55675102.20
अर्जित ब्याज	10	19451325.00	21235463.00
कुल (क)		110753972.29	98289904.20
व्यय			
स्थापना व्यय	11	13785284.00	11876142.00
प्रशासनिक व्यय	12	23652950.04	19864184.16

शिक्षा व अभ्यास के उन्नय संबंधी व्यय	13	1722261.00	4614250.00
मूल्यहास	4	1713861.30	322830.70
कुल (ख)		40874356.34	36677406.86
व्यय से अधिक आय का शेष (क-ख)		69879615.95	61612497.34
अधिशेष तथा घाटा लेखा में अंतरित		69879615.95	61612497.34
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार,
कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार
एफ आर एन 008621सी

ह
(रजिस्ट्रार)
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2016

ह
(प्रेसीडेंट)

ह
(शैलेश कुमार)
सदस्यता सं. 077337

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित)
(लाभेतर संगठन-सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

(राशि रुपए में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष	अदायगियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष
1. रोकड़ जमा			1. व्यय		
क) नकदी शेष	82,380.00	54,010.00	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार)	1,37,85,284.00	1,18,76,142.00
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12 के अनुसार)	2,36,52,950.04	1,98,64,184.16
1. चालू खाते में	3,22,904.67	(17,414.33)	ग) शिक्षा व अभ्यास के उन्नय	17,22,261.00	46,14,250.00
2. बचत खाते में	85,15,311.25	3,27,53,139.21	घ) संबंधी व्यय		
3. ड्राफ्ट हाथ में	5,70,960.00	3,27,240.00	(अनुसूची 13 के अनुरूप)		
2. प्राप्त निधियाँ			2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से की गई अदायगियाँ		
क) मूल्यांकन फीस	3,51,00,000.00	2,47,30,000.00	क) नाटा व्यय	2,69,89,738.00	1,82,14,531.80
ख) निर्णय की समीक्षा का शुल्क	22,00,000.00	1,24,72,700.00	ख) मूल्यांकन एवं निरीक्षण व्यय	2,12,90,982.00	1,90,61,064.00
ग) संस्थान से दण्ड/जुर्माना	29,33,025.00	32,000.00	ग) मध्यस्थता व्यय	26,999.00	32,000.00
घ) माध्यस्थता फीस	64,000.00	0.00	घ) तुल्यता व्यय	7,29,589.00	0.00
3. प्राप्त ब्याज			3. निवेश और जमा की गई राशियाँ		
क) बैंक जमा पर	1,68,35,778.00	1,86,59,828.00	क) उद्दिष्ट / अक्षय निधियों से	11,74,80,893.00	19,50,00,000.00
ख) ऋण, पेशगियाँ आदि	20,82,599.00	20,67,502.00			
ग) बचत बैंक खाते पर	3,83,880.00	5,08,133.00	4. स्थायी परिसंपत्तियों तथा पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
घ) आयकर विभाग से फीस से आय	1,49,068.00	0.00	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	30,43,654.00	72,393.00
क) पंजीकरण फीस	44,78,400.00	28,96,200.00	5. अन्य अदायगियाँ		
ख) वार्षिक नवीकरण फीस	31,85,100.00	25,66,100.00	क) बैंक / कंपनियों द्वारा काटा गया टीडीएस	18,85,016.00	20,90,956.00
ग) पुनःस्थापन फीस	20,65,000.00	20,05,000.00	ख) स्टाफ को पेशगियाँ	0.00	74,68,007.00
घ) अनुलिपि प्रमाण-पत्र फीस	2,89,200.00	2,49,300.00	ग) अन्य पेशगियाँ	65,70,520.90	12,04,478.00
ड.) वास्तुविदों से जुर्माना	1,23,25,100.00	86,31,540.00	घ) लेखागत आंशिक फीस	10,310.00	54,470.00
च) एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	55,99,099.00	50,30,899.00	ड.) एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	55,99,099.00	50,30,899.00

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष	अदायगियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष
छ) अतिरिक्त अर्हता फीस	200.00	300.00	च) नाटा फीस पेशगियाँ	37,500.00	1,23,70,000.00
5. अन्य आय			छ) मूल्यांकन फीस पेशगियाँ	3,45,50,000.00	2,39,00,000.00
क) प्रकाशनों से आय	13,64,980.00	22,98,249.00	प्राप्ति योग्य राशि	1,050.00	0.00
ख) आर टी आई फीस	730.00	770.00	ज) वर्ष के लिए बैंक ब्याज	32,75,991.00	29,79,429.00
ग) नाटा फीस	6,99,12,500.00	5,34,30,000.00	झ) स्टाफ पेशगियाँ से ब्याज लाभ	20,94,620.00	20,75,919.00
घ) विविध आय	8,237.29	18,979.00	नाटा 2015 के लिए पूर्वदाता	26,04,330.00	4,18,875.00
ड.) संस्थानों से दण्ड/जुर्माना	84,795.00	0.00	ट) व्यय		
6. अन्य प्राप्तियाँ			ठ) कार्यालय स्थल के लिए एनसीबी पेशगियाँ	5,52,62,075.00	14,79,67,074.00
क) एक बारगी नवीकरण फीस	2,27,28,000.00	2,07,34,000.00	ड) ईआरपी अनुप्रयोग के लिए एनआईसी पेशगियाँ	0.00	27,03,409.00
ख) वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	11,87,00,000.00	17,25,00,000.00	ढ) ओडी खाते से ब्याज	0.00	0.00
ग) स्टाफ से वसूल की गई पेशगियाँ	22,19,668.00	19,85,641.00	ण) ओडी शेष का भुगतान	4,05,12,502.00	0.00
घ) वसूल की गई अन्य पेशगियाँ	29,72,897.00	2,42,307.00	6. रोकड़ जमा		
ड.) टीडीएस वापसी	12,85,682.00	0.00	क) नकदी शेष	28,506.00	82,380.00
च) ब्याज समायोजन से अर्जित ब्याज	13,10,928.00	6,02,345.00	ख) बैंक शेष		
छ) कर/ राशि/पोस्टेज देय	0.00	67,62,964.00	1) चालू खाते में	1,34,983.01	3,22,904.67
ज) नाटा फीस पेशगी	1,58,23,750.00	37,500.00	2) बचत खाते में	85,21,144.26	85,15,311.25
झ) विज्ञापन दाताओं से प्राप्त राशि	24,85,155.00	1,36,845.00	3) उपलब्ध ड्राफ्ट	4,19,330.00	5,70,960.00
ञ) मूल्यांकन फीस पेशगियाँ	3,41,50,000.00	3,45,50,000.00			
ट) बैंक ओवरड्राफ्ट से लाभ	0.00	80,2,23,560.00			
कुल	37,02,29,327.21	48,64,89,636.88	कुल	37,02,29,327.21	48,64,89,636.88

वास्तुकला परिषद् के लिए और
उसकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते, शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार (एफ आर एन 008621सी)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 01.08.2016

ह/-
(रजिस्ट्रार)

ह/-
(प्रेसीडेंट)

ह/-
(शैलेश कुमार) एफ-077337

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(A statutory authority of Govt. of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2017

Ref. No.CA/28/2016/A.R.—The following is published for general information.—

ANNUAL REPORT 2015, 2016

The Council of Architecture, constituted under the Architects Act, 1972 under Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31.03.2016.

Organisational Structure:

The President, Council of Architecture is head of the organization under whose overall charge the Council functions.

Statutory and Other Committees:

In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council constituted the statutory, committees, namely, the Executive Committee, which functions as an Executive Authority of the Council, Disciplinary Committee, which investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects, Advisory Committee (Appeals), which hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected. Apart from these several other committees are constituted from time to time for particular / special purposes

The Council constituted a Sub-Committee to examine the references received from Central Government for recognition of Foreign qualifications.

The Executive Committee also constituted Scrutiny Committee to scrutinize the proposals / applications received from new institutions for introduction B.Arch. Course and from existing institutions for extension of approval / additional intake.

Meetings :

a. Council: During the period under report the Council had its two meetings, namely, 64th meeting on 27th August, 2015 and 65th meeting on 25th January, 2016.

b. Executive Committee: During the year 2015-2016, the Executive Committee had 13 meetings i.e. 143rd Meeting on 6th & 7th May, 2015, 144th Meeting on 14th and 15th May, 2015, 145th Meeting on 27th, 28th, 29th, 30th and 31st May, 2015, 146th Meeting on 6th, 7th and 8th June, 2015, 147th Meeting on 13th and 14th June, 2015, 148th Meeting on 23rd and 24th June, 2015, 149th Meeting on 13th and 14th July, 2015, 150th Meeting on 13th August, 2015, 151st Meeting 26th August, 2016, 152nd Meeting 2nd November, 2015, 153rd Meeting on 15th January, 2016, 154th Meeting on 24th January, 2016 and 155th Meeting on 5th March, 2016.

The various decisions and actions taken by the Council during the year under report are summarized as under:

1.0 RESTORATION OF NAMES TO THE REGISTER OF ARCHITECTS MAINTAINED BY THE COUNCIL UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Council at its 64th Meeting restored names of 1027 Defaulting Architects, whose names were restored to the Register of Architects on receipt of requisite fees, during the period 13.01.2015 to 31.07.2015..

The Council at its 65th meeting restored names of 936 Defaulting Architects, whose names were restored to the Register of Architects on the receipt of requisite fee, during the period 01.08.2015 to 31.12.2015.

2.0 REMOVAL OF NAMES FROM THE REGISTER OF ARCHITECTS DUE TO REQUEST AND DEATH :

The Council at its 64th Meeting removed the names of following Architects from the Register of Architects at their request as provided under Section 29(1) (a) of the Architects Act, 1972:

- i) Mr. Prakash A. Bandekar, CA/88/11560, Mumbai;
- ii) Mr. Dinesh T. Mahadwar, CA/75/1045, Mumbai;
- iii) Mr. Vilas D. Mungkar, CA/84/8197, Mumbai; and
- iv) Mr. Manohar V. Gogate, CA/75/1948, Pune

The Council at its 64th meeting removed the names of following architects from the Register of Architects upon their death as provided under section 29(1) (b) of the Architects Act, 1972:

- i) Mr. Vilas D. Mungekar, CA/84/8197, Mumbai;
- ii) Mr. Charles M. Correa, CA/75/2277, Mumbai; and
- iii) Mr. K. Vamadevan, CA/75/260, Chennai

The Council at its 65th meeting removed the names of following Architects from the Register of Architects at their request as provided under section 29(1) (a) of the Architects Act, 1972:

1. Shri S.U. Nimbhorkar (CA/2005/25739), Noida;
2. Shri Subhash Kapoor (CA/76/2782), New Delhi;
3. Shri S. V. Singh (CA/2006/39063), Lucknow;
4. Ms. Anita K. Thakor (CA/87/10523), Ahmedabad;

5. Shri A. R. Joshi (CA/97/19326), Sangli;
6. Smt. Sudha Goel (CA/80/5685), New Delhi;
7. Shri Kamaljeet Singh (CA/79/5221), New Delhi;
8. Ms. Devleen Dutta (CA/2013/60638), New Delhi;
9. Shri J. R. Patel (CA/75/904), Vadodara;
10. Shri A. R. Biswas (CA/75/1297), Allahabad;
11. Shri S.V. Ponkshe (CA/77/3404), Kalyan ;
12. Shri D. V. Kulkarni (CA/82/6806), Mumbai
13. Shri D. K. Chawre (CA/83/7882), Pune;
14. Shri J. M. Nagrecha (CA/86/9764), Mumbai;
15. Ms. Nidhi Sood (CA/98/23216), Faridabad;
16. Ms. Aarthy T. (CA/2013/58545), Madurai;
17. Ms. A. K. Sinha (CA/2013)61052), Thane;
18. Shri Parthapratim Ghosh (CA/75/149), New Delhi;
19. Shri V. P. Kulkarni (CA/75/441), Nagpur;
20. Shri R. N. Pote (CA/86/9843), Mumbai;
21. Shri A. R. Joshi (CA/85/9090), Mumbai;
22. Shri V. K. Garg (CA/85/8974), Meerut;
23. Shri Gurinder Singh (CA/2015/67366), Kharar ;
24. Ms. S. K. Wakhloo (CA/91/13647), New Delhi;
25. Ms. Jyoti Narula (CA/92/14930), Lucknow;
26. Shri V. R. Bhagtani (CA/99/25223), Raipur;
27. Shri S. Ghosh (CA/75/1452), Kolkata;
28. Ms. K. Mariamma (CA/79/4913), Thiruvananthapuram;
29. Shri A. G. Brahme (CA/86/10359), Pune;
30. Shri M. B. Dave (CA/99/24580), USA;
31. Ms. A. Srivastava (CA/2013/62213), Delhi;
32. Shri A. M. Kini (CA/98/22521), Mumbai;
33. Shri G.W. Athavale (CA/76/2778), Pune; and
34. Shri Rajeev Bajpeyi (CA/99/24565), USA

The Council at its 65th meeting removed the names of following architects from the Register of Architects upon their death as provided under Section 29 (1) (b) of the Architects Act, 1972:

1. Shri V. K. Girhotra (CA/99/24858), Delhi;
2. Shri A. R. Thacker (CA/99/14183), Mumbai;
3. Shri A.S. Upasant (CA/77/14183), Mumbai;
4. Shri S. N. Verma (CA/87/10527), Jaipur;
5. Shri S. G. Upare (CA/85/9015), Sangli;
6. Shri M. G. Suthar (CA/80/5582), Ahmedabad;
7. Shri U. D. Anbiye (CA/80/5998), Mumbai;
8. Shri H.S. Chadha (CA/77/3818), Delhi;
9. Shri D.J.Hirani (CA/88/3792), Noida;

10. Shri M.T. Dhenge (CA/76/3165), Nagpur;
11. Shri N. J. Sagar (CA/76/2682), Mumbai;
12. Shri M. Hussain (CA/76/2428), Hyderabad;
13. Shri S. N. Mangal (CA/75/1717), Agra;
14. Shri G. L. Raheja (CA/75/1497), Mumbai;
15. Shri V. P. Sanon (CA/75/1338), Kolkata;
16. Shri I. D. Kapoor (CA/75/594), Mumbai;
17. Shri H.K. Gawankar (CA/82/7316), Mumbai;
18. Shri Kabir Ray (CA/79/4991), Kolkata;
19. Shri P.S. Phadnis (CA/76/3114), Mumbai;
20. Shri C. K. Gumaste (CA/75/125), Mumbai;
21. Shri S. R. Ghorpade (CA/75/1149), Thane; and
22. Shri S. A. Khare (CA/96/19848), Thane.

3.0 MEETINGS OF THE DISCIPLINARY COMMITTEE:

During the year under report no meeting/ hearing of the Disciplinary Committee could be held due to constant change in its membership. The Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, was requested to expedite the re-constitution of Disciplinary Committee.

4.0 REGISTRATION OF ARCHITECTS:

The Council registers a person, as an architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architecture in India and holds a recognized architectural qualification.

During the year (1st April, 2015 to 31st March, 2016), the Council has registered 6726 persons as architects and with this as on 31st March, 2016, a total of 74648 persons have been registered as architects with Council of Architecture. On 31st March, 2016, 60710 persons held valid registration as Architects with the Council of Architecture.

The process of online registration of Architects will be started shortly.

5.0 PURCHASE OF ADDITIONAL OFFICE SPACE FOR THE OFFICE OF COUNCIL OF ARCHITECTURE.

The Council has purchased additional Office space from the National Building Construction Corporation Ltd. (NBCC), at NBCC- Centre, Okhla (Phase-I), New Delhi at 7th Floor (total area 7,885 Sq.ft.) and the amount as due has been fully paid to the NBCC.

6.0 COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT AGAINST ARCHITECTS:

Each and every architect is required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, as amended in 2003. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of being heard to the Architect.

The Council at its 64th Meeting considered 16 complaints of alleged professional misconduct against Architects. In one case complainant was asked to provide certain documents, 2 cases were deferred due to non-submission of preliminary report by Council members, 6 complaints were dismissed, 4 complaints were referred to Council members for their preliminary report and 3 complaints were referred to Disciplinary Committee for investigation.

The Council at its 65th meeting considered 4 complaints of alleged professional misconduct against architects. 1 complaint was referred to Disciplinary Committee for investigation, 2 complaints were dismissed and 1 complaint was referred to a member of the Council for preliminary report.

7.0 SUPPLY OF INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005 :

During the period under report in terms of the provisions of the RTI Act, 2005, the Council received 96 RTI Applications, 20 First Appeals and 2 Second Appeals were disposed of by Central Information Commission.

8.0 ONLINE APPLICATION PROCESS FOR ARCHITECTURAL INSTITUTIONS:

The Council has started receiving applications/ proposals from Institutions for introduction of B.Arch. as well as for extension of B.Arch.courses/ Additional intake online. All the details of the Institution including faculty members and infrastructure facility are submitted by the Institutions online through Internet. Inspections reports of institutions will also be generated online.

The online process will enable the Council to have full database of Institutions and to monitor their academic and infrastructure facilities easily. The inspections for the academic session 2015-2016 are being managed through online system.

9.0 APPROVAL OF NEW INSTITUTIONS IN THE ACADEMIC SESSION 2015 – 2016:

During the year under report 64 new institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses and 12 existing institutions were granted approval for PG Courses.

With this, the total number of institutions imparting recognized courses in architecture with the approval of Council has risen to 423 in 2015-2016. The annual intake of students at Undergraduate level is 25203 (approx.), Postgraduate level is 1900 and at Ph.D is 30.

10.0 EXTENSION OF APPROVAL FOR THE ACADEMIC SESSION 2015-2016 ONWARDS:

The Council granted extension of approval or otherwise for UG & PG Courses to 242 institutions for the academic session 2015-2016 as under:

- i) Institutions granted extension of approval for B.Arch. Course for 2015-2016 onwards with existing or higher intake: 242
- ii) Institutions granted extension of approval for M.Arch. Course for 2015-2016 onwards with existing or higher intake: 27
- iii) Institutions put on 'No Admission' for 2015-2016: 03
- iv) Institutions put on 'Withdrawal of approval' for 2015-2016: NIL

The Council has also initiated the process of inspection for the academic session 2016-2017 of institutions, which are due for inspections.

11.0 CONDUCT OF DESIGN COMPETITION FOR LOGO DESIGN OF ARCHITECT:

All the professionals such as Doctors, Chartered Accountants have their specific logos by which they are identified. Architects have no such logo even internationally except very few countries. The Council, in its efforts to promote architectural profession and give Architects an identity, decided to conduct a Competition to select logo for Architects.

The Council received 1136 entries for logo design. The first stage jury was held on 20.08.2015. The final jury was held on 25.08.2015 wherein 10 entries were shortlisted and out of these 3 finalists were selected. Hon'ble Speaker, Lok Sabha Smt. Sumitra Mahajan and Deputy Speaker Lok Sabha, Shri Thambi Durai Presided over the awards functions.

The Council at its 65th Meeting held on 25.01.2016 considered the 3 entries and decided that they still need improvement to select a final entry for adoption as logo of Architects in India.

12.0 RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972, BY THE CENTRAL GOVERNMENT:

The Council has received references from the Central Government for recognition of Architectural Degree awarded by foreign Universities.

A Sub-Committee consisting of Prof. Milind Kollegal, Convenor, Prof. Jitendra Singh, Member, Shri A. D. Shirode, Member, and Prof. D.V.Solomon, Member, for considering requests of Recognition of Foreign Qualifications has been constituted by the Council to examine and consider all cases relating to recognition of foreign qualifications.

13.0 COMPREHENSIVE AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT, 1972

The Council submitted a proposal for comprehensive amendments in the Architects Act, 1972 to the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India. The Ministry has constituted a Committee under the Chairmanship of Shri J. R. Bhalla, Architect, Past-President, Council of Architecture for finalizing the same.

The Committee has submitted its report to the Ministry of Human Resource Development. Further, action from the ministry in the matter is awaited.

14.0 TRAINING PROGRAMMES FOR ARCHITECTS:**A. Training Programmes :**

NIASA has conducted 15 training programmes for teachers and professional architects in Pune and other cities during the last year.

One webinar for students and faculty in schools of architecture on “The Architect & The Built Environment” was conducted.

One workshop for faculty in schools of architecture on “Sustainability Sensitizing” was conducted.

The details of the programmes are as follows:

1. Teacher Training Programme:

Sr. No.	Name of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Part.
1.	Regional Faculty Induction Programme at Indore, Madhya Pradesh	Prof. Jayashree Deshpande	20 th - 24 th April, 2015	07
2.	Regional Faculty Induction Programme at Jhansla, Punjab	Prof. Jayashree Deshpande	22 nd - 26 th June, 2015	36
3.	Regional Faculty Induction Programme at Chennai, Tamil Nadu	Prof. Jayashree Deshpande	29 th June - 03 rd July, 2015	40
4.	Heritage Identification-Documentation-Conservation at DIT University, Dehradun	Mr. Navin Piplani	06 th - 10 th July, 2015	32
5.	Regional Faculty Induction Programme at SIT, Tumkur, Karnataka	Prof. Jayashree Deshpande	13 th - 17 th July, 2015	22
6.	Early Faculty Induction Programme at NIASA, Pune, Maharashtra	Prof. Jayashree Deshpande	20 th - 30 th July, 2015	15
7.	Regional Faculty Induction Programme at Aalim Muhammed Salegh Academy of Architecture, Chennai	Prof. Jayashree Deshpande	23 th - 27 th November, 2015	44
8.	Regional Faculty Induction Programme at School of Architecture, D.Y.Patil College of Engineering & Technology, Kolhapur	Prof. Jayashree Deshpande	23 rd - 27 th November, 2015	37
9.	Regional Faculty Induction Programme at Holy Crescent College of Architecture, Alwaye, Kerala	Prof. Jayashree Deshpande	04 th - 08 th January, 2016	42
10.	Regional Faculty Induction Programme at School of Architecture, Anjuman-I-Islam's Kalsekar Technical Campus, Navi Mumbai, Maharashtra	Prof. Jayashree Deshpande	06 th - 10 th January, 2016	29
11.	Regional Faculty Induction Programme at Rizvi College of Architecture, Mumbai, Maharashtra	Prof. Akhtar Chauhan	10 th - 14 th February, 2016	24
12.	Regional Faculty Induction Programme at Faculty of Architecture, Integral University, Dasauli, Lucknow, Uttar Pradesh	Prof. Jayashree Deshpande	08 th - 12 th March, 2016	46
13.	Teaching Indian Architectural History	Prof. Vaishali Latkar	14 th - 18 th March, 2016	20
14.	Train the Trainers - Pre-Design	Mr. Naresh Shah, Mumbai	21 st - 22 nd March, 2016	03
15.	Regional Faculty Induction Programme at School of Architecture, Dayananda Sagar Academy of Technology and Management, Kanakapura Road, Bangalore, Karnataka	Prof. Jayashree Deshpande	28 th March - 01 st February, 2016	24
Total participants				421

2. Webinar for students and faculty in School of Architecture:

Sr. No	Name of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Part.
01	The Architect & the Built Environment	Mr. Nirmal Kulkarni	07 th April, 2015	1

3. Workshop for faculty in School of Architecture:

Sr. No	Name of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Part.
01	Sustainability Sensitizing Workshop at Priyadarshini Institute of Architecture & Design Studies, Nagpur	Ms. Sangita Kapoor	25 th -27 th February, 2016	35

15.0 ISSUANCE OF ENROLMENT NUMBERS TO STUDENTS ADMITTED BY ARCHITECTURAL INSTITUTIONS IN B.ARCH. COURSE:

The Council is issuing enrolment numbers to students admitted by the Institution to ensure that the students have eligibility prescribed by the Council and also admitted within the intake sanctioned by the Council. The process of issuing enrolment has now been made online and all the institutions are required to submit information online and accordingly they receive enrolment number in respect of eligible students admitted in B.Arch. Course.

16.0 NATIONAL AWARDS FOR EXCELLENCE IN ARCHITECTURAL THESIS:**➤ Undergraduate:**

The Council through NIASA initiated the tenth National Awards for Excellence in Architectural Thesis Program for undergraduate thesis projects to encourage the young talent. The zonal juries were held at the following places.

Zone	Place	Coordinating College
I	Lucknow	ITM School of Architecture & Town Planning, Lucknow
II	Kolkata	Om Dayal School of Architecture, Howrah
III	New Vallabh Vidyanagar	Shantaben Manubhai Patel School of Studies, Vallabh Vidyanagar
IV	Kotagiri	McGan's Ooty School of Architecture, Kotagiri
V	Nammkal	EXCEL College of Architecture and Planning, Namakkal
National	New Delhi	Faculty of Architecture & Ekistics Jamia Millia Islamia, New Delhi.

The members of Jury for Zones were:

- Zone I Ar. Sandeep Sen, Ar. Partharanjan Das, Ar. Chitra Vishwanath
- Zone II Ar. Ujan Ghosh, Ar. Prasad Yadav, Ar. Mona Doctor
- Zone III Ar. Ashok Dutta, Ar. Sujit Nair, Ar. Aparna Narsimhan
- Zone IV Ar. Surya Kakani, Ar. Shraddha Sejal, Ar. Shantanu Poredi
- Zone V Ar. Ravi Kadam, Ar. Ayan Sen, Ar. Anjan Mitra

The National Jury members were Ar. Bernard Gomez, Ar. Snehanshu Mukherjee, Ar. Soumitro Ghosh.

➤ Post Graduate:

The Council of Architecture through NIASA initiated the second National Awards for Excellence in Post Graduate Thesis in Architecture Program for postgraduate thesis projects with an objective to encourage and motivate students of masters' courses in architecture from across the country and develop a research culture amongst schools of architecture.

The National Jury was held at Faculty of Architecture & Ekistics Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi. The members of Jury for National finals were Ar. K Jaisim, Ar. B S Bhooshan and Ar. Akhtar Chauhan.

The awards distribution ceremony of the under graduate and post graduate programmes was held at IHC, New Delhi.

17.0 COA-INTACH HERITAGE AWARDS:

The COA-INTACH Heritage Awards Program for schools of architecture from all over India was conducted and the final jury was conducted in INTACH, Delhi, and awards distribution ceremony was held at IHC, New Delhi together with the COA-NIASA Thesis Awards distribution ceremony.

18.0 NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE

National Aptitude Test in Architecture was conducted in two phases i.e. Phase – I from 01.04.2015 to 25.05.2015 and Phase–II from 01.06.2015 to 21.08.2016 for the prospective candidates looking forward to take up Architecture as career.

The Status of the NATA Examination of 2015 is as follows:

- Total Number of Appointments/ Test conducted 54688/ 45467, respectively.
- Results Declared 45445.
- Total Candidates Passed (Attempt Specific) 30268.
- Highest Score (Attempt Specific) 154.
- Total Candidates Passed (Post Averaging if applicable) 28715.
- Highest Score (Post Averaging if applicable) 154.

19.0 SELECTION OF ARCHITECTS BY GOVT. DEPARTMENTS/ UNDERTAKINGS:

The Council wrote to several public authorities to appoint architects as per Architectural Competition Guidelines and not to appoint through tender or bid process on payment of lowest fee. The Council has asked the CPWD to withdraw the two circulars issued by it regarding appointment of architects. Similarly, NBCC was also requested to adopt the COA norms in respect of projects handled by it.

The Council has also requested the Department of Expenditure, Ministry of Finance to revise its Manual on Appointment of Consultants in line with provisions of the Architects Act, 1972 and Regulations framed thereunder since the manual is being following by all Govt. Departments for selection/ appointment of Architects. The Council has also sought intervention of Hon'ble Prime Minister, Govt. of India, on various issues affecting architectural profession.

The guidelines and inputs required by the promoters and competitors from the Council in the conduct of the competitions were also made available as and when requests were received.

20.0 ENFORCEMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972 AND REGULATIONS FRAMED THEREUNDER :

Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972, impose prohibition on misrepresentation as an architect as well as misuse of title and style of architect and violation of the prohibition is a punishable offence. Upon receipt of the complaints of misuse of title and style of architect, the Council filed complaints u/s 39 before the First Class Magistrate for taking cognizance of the offences.

The Council is vigorously pursuing such criminal complaints filed before the Metropolitan Magistrate in New Delhi, against persons who have violated the provisions of the Architects Act, 1972 and misrepresented or misused the title and style of architect. Presently about 16 complaints are pending for adjudication before the Court.

21.0 PUBLICATIONS:

The Council is printing and publishing its magazine Architecture "Time Space and People", with assistance of Lifestyle Media, New Delhi.

The Directory of Architects and Handbook of Professional Documents 2015 have been published. The Handbook is sent free of cost to all Architects holding valid registration and Architectural Institutions.

The following books have been published and distributed to the colleges of architecture in India:

- An Introduction to Pre-design
- Journal of Council of Architecture (JCOA) – Architecture-Education & Practice
- The Rural Studio Project
- Archiving Architecture Thesis 2014

The following book has been published and complementary copies of the same shall be distributed to the colleges of architecture with the forthcoming COA-NIASA publication:

- Design Manual for a Barrier Free Built Environment :

The following book is ready and is expected to be printed and published shortly:

- Archiving Architectural Thesis 2012

The following refereed journals are in the process of designing and are expected to be printed and published shortly:

- Journal of Council of Architecture (JCOA) – Housing
- Journal of Council of Architecture (JCOA) - Sustainable Development
- Journal of Council of Architecture (JCOA) - Heritage and Conservation

500 copies of Snehal Shah “Architect” book were procured from Mapin Publication, Ahmedabad. The said book had been distributed to the colleges of architecture in India.

22.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Council is functioning with skeleton staff strength and carrying out its statutory functions efficiently on all India level from out of its own resources. The Council would like to place on record its appreciation and gratitude to the Central Government and its officers, all State Governments and all Schools of Architecture, for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972. The Council also expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture, Experts, Auditor, Advocates, other professional bodies, practising architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2015-2016.

R. K. OBEROI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./470/16]

SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

J-189, Basement, Near J-Block Market
Saket, New Delhi-110017, INDIA
Phone : 91-11-41555445
Mob. : 01-9810570480, 9811488709

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of “**COUNCIL OF ARCHITECTURE**”, India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi – 110003, as at 31st March, 2016, the Income & Expenditure Account and the Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2016, incorporating the accounts of all the Council Offices. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with the generally accepted Auditing & Accounting Standards, notified till date, issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls given to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient & appropriate to provide a basis for our audit opinion subject to note nos. 02 to 16 of Annexure No. 14 – Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts.

We further report that:

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;

2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;
3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:-
 - a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2016 and
 - b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.
 - c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended on that date.

For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS (FRN 008621C)
 CA.SHAILESH KUMAR
 PARTNER
 M. No. F-077337
 Date : 01.08.2016
 Place : New Delhi

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI
 (Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)
 (NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>			
CAPTIAL CONTRIBUTION FROM GOVT.OF INDIA	1	150000.00	150000.00
EARMARKED FUNDS	2	356730757.00	279601856.00
CURRENT LIABILITIES	3	96993237.00	124603894.00
SURPLUS / DEFICIT ACCOUNT	7	11496329.68	1616713.73
TOTAL		465370323.68	405972463.73
<u>ASSETS</u>			
FIXED ASSETS	4	7741914.00	6412121.30
INVESTMENTS	5	197480893.00	198700000.00
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	260147516.68	200860342.43
TOTAL		465370323.68	405972463.73
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date
For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
 Chartered Accountants
 FRN 008621C

Registrar (President)

(SHAILESH KUMAR)
 M.N.077337

Place : New Delhi
 Date : 01.08.2016

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)
(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2016

(Amount – Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Fees	8	27942099.00	21379339.00
Other Income	9	63360548.29	55675102.20
Interest Earned	10	19451325.00	21235463.00
TOTAL (A)		110753972.29	98289904.20
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	11	13785284.00	11876142.00
Administrative Expenses	12	23652950.04	19864184.16
Expenses related to Promotion of Education & Practice	13	1722261.00	4614250.00
Depreciation	4	1713861.30	322830.70
TOTAL (B)		40874356.34	36677406.86
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		69879615.95	61612497.34
Transferred to Surplus and Deficit Account		69879615.95	61612497.34
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS			

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTUREIn terms of our separate report of even date
For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008621C

(REGISTRAR)

(PRESIDENT)

(SHAILESH KUMAR)
M.N.077337Place : New Delhi
Date : 01.08.2016**COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI**(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)
(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVT. AUTHORITY)

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2016

Amount(Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance			I. Expenses		
a) Cash In hand	82,380.00	54,010.00	a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 11)	1,37,85,284.00	1,18,76,142.00
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 12)	2,36,52,950.04	1,98,64,184.16
1) In Current accounts	3,22,904.67	-17,414.33	c) Expenses related to Promotion of Education & Practice (corresponding to Schedule 13)	17,22,261.00	46,14,250.00
2) Savings Accounts	85,15,311.25	3,27,53,139.21			
3) Drafts at Hand	5,70,960.00	3,27,240.00			

II. Funds Received			II. Payments made against funds for various Projects		
a) Evaluation Fees	3,51,00,000.00	2,47,30,000.00	a) NATA Expenses	2,69,89,738.00	1,82,14,531.80
b) Charges for Review of Decision	22,00,000.00	1,24,72,700.00	b) Evaluation & Inspection Expenses	2,12,90,982.00	1,90,61,064.00
c) Fine/ Penalty from Intuitions	29,33,025.00	32,000.00	c) Arbitration Expenses	26,999.00	32,000.00
d) Arbitration Fee	64,000.00	0.00	e) Directory of Architect Exps.	7,29,589.00	0.00
III. Interest Received			III. Investments and deposits made		
a) On Bank deposits	1,68,35,778.00	1,86,59,828.00	a) Out of Earmarked/Endowment funds	11,74,80,893.00	19,50,00,000.00
b) Loans, Advances etc.	20,82,599.00	20,67,502.00	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
c) On Savings Bank Account	3,83,880.00	5,08,133.00	a) Purchase of Fixed Assets	30,43,654.00	72,393.00
d) From Income Tax Dept.	1,49,068.00	0.00	V. Other Payments		
IV. Fee Income			a) TDS deducted by the Bank/Companies	18,85,016.00	20,90,956.00
a) Registration Fee	44,78,400.00	28,96,200.00	b) Advances to Staff	0.00	74,68,007.00
b) Annual Renewal Fee	31,85,100.00	25,66,100.00	c) Other Advances	65,70,520.90	12,04,478.00
c) Restoration Fee	20,65,000.00	20,05,000.00	d) Part Fees on Account	10,310.00	54,470.00
d) Duplicate Certificate Fee	2,89,200.00	2,49,300.00	e) Apportionment of One Time Renewal Fees	55,99,099.00	50,30,899.00
e) Fine from Architects	1,23,25,100.00	86,31,540.00	f) NATA Fee Advance	37,500.00	1,23,70,000.00
f) Apportionment of One Time Renewal Fees	55,99,099.00	50,30,899.00	g) Evaluation Fees Advance	3,45,50,000.00	2,39,00,000.00
g) Additional Qualification Fee	200.00	300.00	h) Amount receivable	1,050.00	0.00
V. Other Income			i) Bank Interest Accrued for the Year	32,75,991.00	29,79,429.00
a) Income from Publications	13,64,980.00	22,98,249.00	j) Interest Accrued on Staff Advance	20,94,620.00	20,75,919.00
b) RTI Fees	730.00	770.00	k) Prepaid Expenses for NATA Examination	26,04,330.00	4,18,875.00
c) NATA Fees	6,99,12,500.00	5,34,30,000.00	l) Advance to NBCC for Office Space	5,52,62,075.00	14,79,67,074.00
d) Misc. Income	8,237.29	18,979.00	m) Advance to NIC for ERP Application	0.00	27,03,409.00
e) Packing and forwarding	84,795.00	0.00	n) Interest on OD Account	0.00	0.00
VI. Other Receipts			o) OD Balance repaid	4,05,12,502.00	0.00
a) One Time Renewal Fee	2,27,28,000.00	2,07,34,000.00	VII. Closing Balance		
b) FDR's Matured during the Year	11,87,00,000.00	17,25,00,000.00	a) Cash In hand	28,506.00	82,380.00
c) Advances Recovered from Staff	22,19,668.00	19,85,641.00	b) Bank Balances		
d) Other Advances Recovered	29,72,897.00	2,42,307.00	1) In Current accounts	1,34,983.01	3,22,904.67
e) TDS Refund	12,85,682.00	0.00	2) Savings Accounts	85,21,144.26	85,15,311.25
f) Interest adjusted agst. Interest Accrued	13,10,928.00	6,02,345.00	3) Drafts at Hand	4,19,330.00	5,70,960.00
g) Taxes/ Amount/Postage payable	0.00	67,62,964.00			
h) NATA Fees Advance	1,58,23,750.00	37,500.00			
i) Amount received from Advertisers	24,85,155.00	1,36,845.00			
j) Evaluation Fees Advance	3,41,50,000.00	3,45,50,000.00			

j) Bank Overdraft Availed	0.00	8,02,23,560.00			
TOTAL	37,02,29,327.21	48,64,89,636.88	TOTAL	37,02,29,327.21	48,64,89,636.88

for and on behalf of

In terms of our separate report of even
date**COUNCIL OF ARCHITECTURE****for SHAILESH AGGARWAL &
ASSOCIATES**

Place : New Delhi

Chartered Accountants (FRN-008621C)

Date : 01.08.2016

(REGISTRAR)

(PRESIDENT)

(SHAILESH KUMAR)
F-077337